

15/6/2020

कराला (सख०)

8-6

पत्रावली पेश हुई, पत्रकार बख्कार तहसील  
 स्वयं उपस्थित। उनके हुकाव्या) गैर आपला  
 की कोर से श्री ललित कुमार शर्मा एडवोकेट  
 उपस्थित हुए। उन्होंने धारा 136 LRA के  
 अन्तर्गत तहसील क्षेत्र में आराजी खं नं  
 348/651 के ख्यातपद खं नं 313 को गाम  
 मामला तहसील करौली में टुकड़ी किये  
 जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः  
 तहसील (करौली) का प्रारम्भिक केन्द्र  
 धारा 136 LRA के अन्तर्गत किया जाकर  
 गाम मामला तहसील करौली के खं नं  
 348/651 के ख्यातपद खं नं 313 हुए  
 किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश  
 जारी हो तदनुसार पालना हेतु तहसील  
 करौली के आदेश की पूर्ति लेनी जावे।  
 पत्रावली - मुख्य ल सुभार लोक वापतकी  
 दारिद्र्य दफ्तर से नम्बर से कम है।

धारा 136 LRA  
 की कार्रवाई को  
 करवाये जाने को  
 रूपाय 981 रु।

15-6-20

लालित कुमार शर्मा

उपखण्ड अधिकारी  
 तहसील (करौली)

